

जलवाहक योजना

स्रोत: पी.आई.बी

हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने अंतरदेशीय जलमार्ग और माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिये 'जलवाहक' योजना शुरू की।

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य अंतरदेशीय जलमार्गों की वाणज्यिक क्षमता का दोहन करना, **रसद लागत को कम करना** और **सड़कों और रेलमार्गों पर यातायात को आसान बनाना** है।
 - यह राष्ट्रीय जलमार्ग (NW) 1 (गंगा), 2 (बरहमपुत्र) और 16 (बराक) पर लंबी दूरी की माल ढुलाई को प्रोत्साहित करता है।
- **प्रोत्साहन:**
 - भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2 और 16 पर कार्गो आवागमन के लिये परिचालन व्यय का **35% तक प्रतपूर्ति** प्रदान करता है।
 - यह नजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले जहाजों को करियाे पर लेने को प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रतसिपरद्धा और दक्षता को बढ़ावा मिलता है।
- **आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव:**
 - इसका लक्ष्य वर्ष **2027 तक 800 मिलियन टन किलोमीटर कार्गो** को शफिट करना है।
 - इसका लक्ष्य जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को **132.89 मिलियन टन (2023-24) से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 200 मिलियन टन** और वर्ष **2047 तक 500 मिलियन टन** करना है, जिससे नीली अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत पहल को समर्थन मिलेगा।
- **भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):**
 - इसकी स्थापना वर्ष **1986** में अंतरदेशीय जलमार्गों को वनियमति और वकिसति करने के लिये की गई थी।
 - भारत में नदियों, नहरों और बैकवाटर्स सहित **14,500 किलोमीटर** नौगम्य जलमार्ग हैं।
 - राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 111 जलमार्गों (5 मौजूदा और 106 नए) को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।

और पढ़ें: भारत का अंतरदेशीय जल परिवहन